कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन – 07723–223305, फैक्स – 07723–223302, E-mail -msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक/979/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक 12/11/2020

कार्यालयीन आदेश क्रमांक/929/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुंद दिनांक 29.10.2020 के द्वारा **ग्राम खवासपाली,** तहसील बसना, जिला महासमुन्द (छ.ग.) में कोरोना वायरस (कोविड–19) पॉजिटिव पाये जाने के कारण कोविड–19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम हेतु कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है।

02) उपरोक्त संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद द्वारा पत्र क्रमांक/कोविड–19/2020 दिनांक 11.11.2020 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि "छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के पत्र क्र./2020/796/पीए नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से कोविड–19 के बचाव एवं रोकथाम हेतु अद्यतन दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं, जिसके अनुसार कंटेनमेंट जोन हटाये जाने के संबंध में घोषित कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिवस तक सतत् निगरानी पश्चात् संक्रमण की रोकथाम का आकलन कर एवं सक्रिय प्रकरण 14 दिन तक शून्य रहने पर उक्त क्षेत्र से कंटेनमेंट जोन हटाये जाने के निर्देश हैं। ग्राम खवासपाली, तहसील बसना, जिला महासमुन्द में घोषित कंटनेमेंट जोन के 14 दिवस की अवधि पूर्ण हो चुकी है। उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में विगत 14 दिनों में कोई भी कोरोना वायरस के धनात्मक मरीजों की पुष्टि नहीं हुई है।"

03) अतएव उपरोक्तानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी महासमुंद के प्रतिवेदन को दृष्टिगत रखते हुए कार्यालयीन आदेश क्रमांक/929/क/एस.डब्ल्यू/2020 महासमुंद दिनांक 29.10.2020 के द्वारा **ग्राम खवासपाली,** तहसील बसना, जिला महासमुन्द (छ.ग.) में घोषित कंटेनमेंट जोन को एतद्द्वारा मुक्त करते हुए, उक्त आदेश प्रभावहीन किया जाता है।

04) यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/979/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुंद, दिनांक 12/11/2020

प्रतिलिपि :–

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
02. सचिव, छ.ग. शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर को सूचनार्थ।
03. आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर को सूचनार्थ।
04. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुन्द को सूचनार्थ।
05. पुलिस अधीक्षक, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
06. अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं इंसीडेंट कमांडर, सरायपाली को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु।
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, महासमुन्द को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
08. तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, बसना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
09. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, बसना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. सहायक संचालक, जिला जनसम्पर्क, महासमुन्द को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु अग्रेषित।

अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)